कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कौशाम्बी।

पत्रांकः 489 / D.L.S.A. / कौशाम्बी   दिनांकः 31.07.2025

प्रेस–विज्ञप्ति

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र सं0 2389 / एसएलएसए–83 / 2025 (संदीप / आरआई), दिनांकित 30.07.2025 के निर्देशानुसार राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान को सफल बनाये जाने तथा मध्यस्थता एवं सुलह समझौता केन्द्र को सुदृढ़ बनाये जाने के लिए आवश्यकतानुसार मध्यस्थगण का पैनल बनाया जाना है, जिसके अनुसार वैवाहिक विवाद के मामले, दुर्घटना दावे के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, चैक बाउन्स के मामले, वाणिज्यिक विवाद के मामले, सेवा विवाद के मामले, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद के मामले, ऋण वसूली के मामले, सम्पत्ति के बंटवारे से संबंधित मामले, बेदखली से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, अन्य उपयुक्त दीवानी मामलों में आवश्यकतानुसार प्रभावी कार्यवाही कराया जाना है।

उत्तर प्रदेश शासन न्याय अनुभाग–2 (अधीनस्थ न्यायालय) संख्या–10 / 2021 / 195 / सान–न्याय–2–2021–31जी / 2008 लखनऊ दिनांकित 23 मार्च, 2021 द्वारा जारी अधिसूचना के अधीन एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र सं0 2389 / एसएलएसए–83 / 2025 (संदीप / आरआई), दिनांकित 30.07.2025 में दिये गये जिलों की श्रेणी के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कौशाम्बी में 10 मध्यस्थगण की नियुक्ति की जानी है जो इस प्रकार हैं:–

मध्यस्थगण की नियुक्ति हेतु योग्यताः–

1. ऐसे अधिवक्ता जिनके पास न्यायालय में विधि के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो
2. सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
3. ऐसे वृत्तिक / विशेषज्ञ जिनके पास अपने–अपने क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभाव हो और जो विधि के क्षेत्र से सुपरिचित हों

आवेदको को एक उपकम प्रस्तुत करना होगा कि वे भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थता प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

मध्यस्थता पैनल में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की अनर्हताएंः–

1. ऐसा कोई व्यक्ति जो दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया हो या विकृतचित का घोषित किया गया हो
2. ऐसा कोई व्यक्ति जिसके विरूद्ध किसी न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया हो
3. ऐसा कोई व्यक्ति जो नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो
4. ऐसा कोई व्यक्ति जिसके विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हो या फलस्वरूप दण्डित किया गया हो
5. ऐसे अन्य श्रेणी के व्यक्ति जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित किया जाये।

मध्यस्थ की भूमिकाः–

1. पक्षकारों द्वारा विवाद के स्वैच्छिक समाधान को सुगम बनाने का प्रयास करेंगे और प्रत्येक पक्षकार के दृष्टिकोण को अन्य पक्षकार का संसूचित करेंगे।
2. मुद्दों की पहचान करने और भ्रान्तियों को स्पष्ट करने में पक्षकारों की सहायता करेंगे।

3. पक्षकारों को सूचित करेंगे की मध्यस्थ केवल पक्षकारों को समझौता पर पहुंचने में सुगमता प्रदान कर सकता है।

4. प्राथमिकताओं के क्षेत्र को स्पष्ट करेंगे, समझौता के क्षेत्रों की खोज करेंगे और विवाद समाधान करने के प्रयास सृजित करेंगे।

5. इस बात पर जोर देंगे कि किसी समझौता पर पहुँचना पक्षकारों का दायित्व है।

6 मध्यस्थ, पक्षकारों पर समझौता की कोई शर्त अधिरोपित नही करेंगे।

इच्छुक अभयर्थी अपना आवेदन–पत्र संलग्न प्रारूप पत्र में दिनांक 04.08.2025 को समय 04:00 बजे तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में जमा कर सकते हैं।

भवदीय,

प्रभारी सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
कौशाम्बी।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी कौशाम्बी को कलेक्ट्रेट व अधीनस्थ तहसीलों के नोटिस बोर्ड पर उक्त विज्ञप्ति तथा आवेदन के प्रारूप को चस्पा कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने के आशय से प्रेषित।
2. केन्दीय नाजिर, जनपद न्यायालय कौशाम्बी को उक्त विज्ञप्ति तथा आवेदन का प्रारूप नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें जाने के आशय से प्रेषित।
3. अध्यक्ष बार एसोसिऐशन, कौशाम्बी को जिला बार एसोसिऐशन एवं तहसील बार एसासिऐशन के नोटिस बोर्ड पर उक्त विज्ञप्ति और आवेदन के प्रारूप को चस्पा कराये जाने के आशय से प्रेषित।
4. सिस्टम ऑफीसर, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय कौशाम्बी को उक्त विज्ञप्ति व आवेदन का प्रारूप माननीय उच्च न्यायालय व जनपद न्यायालय कौशाम्बी के वेबसाईड पर अपलोड करने के आशय से प्रेषित।
5. जिला सूचना अधिकारी कौशाम्बी को जन–साधारण की जानकारी हेतु समाचार पत्रों में निःशुल्क एवं जनहित में प्रकाशित कराने के आशय से प्रेषित एवं पेपर की कटिंग अधोहस्ताक्षरी का उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कौशाम्बी को नोटिस बोर्ड पर उक्त विज्ञप्ति तथा आवेदन के प्रारूप को चस्पा कराने हेतु प्रेषित।

31/07/25

प्रभारी सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
कौशाम्बी।

अनुसूची–एक
मध्यस्थता और सुलह केन्द्र
(जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कौशाम्बी)
(मध्यस्थ के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन)

प्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ चिपकाय

1 नाम...

2. पिता का नामः..

3. पताः...

(क) कार्यालयः..

(ख) निवासः..

4. दुरभाष संख्याः..

(क) कार्यालयः..

(ख) निवासः..

5. मोबाइल संख्याः...

(क) कार्यालयः..

(ख) निवासः..

6 ई–मेल आईडीः...

7. शैक्षणिक आर्हताएंः...

8. व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभवः..

9. तकनीकी अनुभय यदि कोई होः..

10. मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव यदि कोई होः..

11. बाद काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांकः...
(केवल अधिवक्ताओं की लिए लागू)

12. क्या आपके विरूद्ध किसी न्यायालयय में कोई आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया है?

13. क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है?

14. क्या आपको दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या विकृतचित्त का होना घोषित किया गया है?

15. क्या आपके विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी है, या क्या आपको ऐसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दण्डित किया गया है?

16. अभ्यर्थी उपरोक्त सभी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

मैं.. एतदद्वारा निवेदन करता हूँ कि मैं...........................न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ और उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के नियम 3 के आधीन पैनल में रखे जाने के लिए अपनी सहमति देता हूँ। यह आवश्वासन देता हूँ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथा विहित आचारों का अनुसरण करूंगा। मै, भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा सथा विहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का वचन भी देता हूँ। मै घोषण करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नही गयी है।

दिनांकः

पूर्ण हस्ताक्षरः